संख्या-17/2015/2280(8)/86-2015-187/2014

प्रेषक,

गेन्दन लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक "4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर" में प्राविधानित धनराशि से हैण्ड पम्प की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-706/ए-38/2015-16, दिनांक 25.6.2015 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित कार्य हेतु रू0 18,78,150.00 (रूपये अठारह लाख अठहत्तर हजार एक सौ पच्चास मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0 स0	स्वीकृत कार्य योजना	तहसील जहाँ हैण्ड पम्प की स्थापना की जानी है।	कार्यदायी संस्था जिसे धनराशि आवंटित की जानी है।	हैण्ड पम्प की संख्या	प्रति हैण्ड पम्प की लागत (रूपये में)	स्वीकृत/ अवमुक्त की जा रही धनराशि (रूपये में)
1	फैजाबाद हैण्ड पम्प	गोसाईगंज	यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, 22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।	50	37,563.00	18,78,150.00
					योग	**18,78,150.00**

उक्त धनराशि निम्न शर्तो के तहत आहरित/व्यय की जायेगी।

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता बनाये रखने की जिम्मेदारी, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की होगी तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर इसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V भाग-1 के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नही की गयी है तथा यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित तो नहीं है।

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का होगा।

(8) उक्त जनपद हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थान कार्यदायी संस्था सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर ज्ञात करके हैण्ड पम्प लगायेंगे।

2. उपरेक्त कार्यों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के लेखाशीर्षक "4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था" के अन्तर्गत-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-2280(9)/86-2015 तददिनांक -:</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदायी हेतु प्रेषित :-

(1) जिलाधिकारी, फैजाबाद।
(2) महालेखाकार लेखापरिक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(6) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in